e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

मुंगेली जिले में स्व–सहायता समूहों की प्रगति का अध्ययन

• **माधुरी बघेल. (पीएच.डी. अर्थशास्त्र)**
डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

• **डॉ. प्रतिमा बैस (सहायक प्राध्यापिका अर्थशास्त्र),**
डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश :–

भारत सरकार द्वारा विगत कुछ दशकों में गंभीर प्रयास किये जाने पर भी यह एक वास्तविकता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अभी भी उल्लेखनीय बनी हुई है। यह सत्य है कि पिछले वर्षों से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को निरंतर प्रभावी बनाया जाता रहा है। भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। इसके विकास का सपना भी गांवों के लोगों से जुड़ा हुआ है। जहां अनेकों परिवार बेरोजगारी, गरीबी और बदहाली का शिकार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह प्रयास है कि गरीब ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सके। ग्रामीण विकास करने की दिशा में सरकार का नया कदम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। लोगों का जीवन स्तर सुधारने और विकास कार्यक्रमों में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह योजना 1 अप्रैल 1999 को सभी विकासखण्डों मे लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सहायता देकर गरीबी की रेखा से उपर उठाना है। यह योजना कृषकों, गैर कृषकों, मजदुरों व ग्रामीण बेरोजगारों की उन्नति के लिए उन्हे कृषि कार्य प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्ध कराना, पशुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु एवं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक व वित्तीय सहायता देती है। जिला मुंगेली में स्वसहायता समूहों के निर्माण की प्रक्रिया 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के साथ ही प्रारंभ हुई तथा वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है। हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्राम विकास एवं रोजगार सृजन में स्वसहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषण करना है।

प्रस्तावना:–

स्व–सहायता समूह का गठन आज चाहे देश में नये तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा हो, लेकिन पुरातन से ही हमारे देश में रहने वाले लोग एक–दूसरे से मिलकर और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझकर

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

कार्य करने की विधि अपनाते हैं समूह का गठन जो ''सदस्यों का'' ''सदस्यों द्वारा'' एवं ''सदस्यों के लिये'' संगठन बनाया गया है। वे अपने छोटे–छोटे सहयोग से मूह के अन्तर्गत भाग लेने वाले लोगों को उत्पादन विक्रय और सामाजिक कार्यों के लिये एक बड़ा आर्थिक, सहयोग प्रदाय करने में सक्षम होते हैं। भारत की कुल ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरुप हमारे देश में यह अनुभव किया गया कि व्यक्तिगत अलग–अलग वित्तपोषण की तुलना में सामूहिक हितचिंतन अधिक प्रभाविक माध्यम है एवं इसी के फलस्वरुप ''स्व–सहायता समूह'' विकसित हुई। स्व–सहायता समूहों का संबंध सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और ऐसे वर्ग के उत्थान की बात करता है जो निर्धनता की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहें हैं। विकासशील देशों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सन् 1966 में अपने एक सुझाव में कहा था ''विकासशील देशों को आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं मानव प्रगति के लिये सहकारिताओं की स्थापना को महत्वपूर्ण माध्यम समझा जाना चाहिए। स्व–सहायता समूह ऐच्छिक संगठन, खुली सदस्यता, प्रजातांत्रित, सहयोग, परस्पर सहायता, धार्मिक निष्पक्षता, मितव्ययिता, बचत भावना, सेवा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत तथा सहकारिता पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से महिला विकास की एक परियोजना तमिलनाडू में चल रहा है इस परियोजना में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से स्व–सहायता समूहों का सराहनीय सफलता का उपयोग किया गया और आर्थिक क्रियाकलापों का वित्तपोषण किया जाता है।

जिला ग्रामीण विकास अधिकरण स्वसहायता समूहों के माध्यम से अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। सर्वप्रथम वह ग्रामीण इलाके का सर्वेक्षण करता है, तत्पश्चात ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी देता है और उन्हें समूह निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीण लोगों का एक समूह का निर्माण कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं लागत व्यय के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मदद करता है।

स्वरोजगार से तैयार माल के लिए विपणन एवं बाजार की व्यवस्था तथा समूह में समरूपता बनाये रखने के लिए समूह के नियम, ऋण अदायगी, प्रशिक्षण एवं अन्य सभी बातों को ध्यान में रखकर उनके लिए एक स्वरोजगार का रास्ता तैयार कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करती है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वसहायता समूहों के गठन के लिए सामाजिक गतिशीलता को योजना के तहत दिशा व गति प्रदान करती है। सर्व प्रथम स्वसहायता समूह के गठन के लिए प्राथमिक संपर्क कर समूह निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। यह समूह के भविष्य मे निरन्तरता व प्रगति का मूल आधार है। क्षेत्रीय या सामाजिक कार्यकर्ता जिसे प्रवर्तक भी कहते है, की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। अक्सर जब स्वयंसेवी संस्था

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

के कार्यकर्ता के कर्मी ग्राम में पहुचंते है तब पाते है, कि वहां कोई न कोई समूह पहले से चल रहा है और उसे केवल प्रोत्साहित करने की तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि वह बचत व ऋण की गतिविधियों को कैसे संचालित कर सके। यदि ऐसे समूह न मिले तो चयनित क्षेत्र में संस्था प्रतिनिधियों को ग्रामीणजनों के मिलने–जुलने के क्षेत्रों जैसे चाय–पान की दुकान पनघट, मंदिर, बाजार, दुग्ध संग्रह केन्द्र आदि जहां पर वंचित वर्ग के पुरूष व महिलाएं एकत्रित होते है सम्पर्क कर उनकी समस्याओं आरै आवश्यकताओं के बारे में अनौपचारिक चर्चा में भाग लेना चाहिए तथा लगातार बातचीत कर समूह गठन के लिए प्रोत्साहित करना करते है। यदि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाना है, तो महिलाओं को प्रेरित करने के अलावा उनके पति व पिता से भी मिलनते है एवं उन्हें भी इस बारे में विश्वास में लेते है। समूह गठन के महत्व व लाभ के विषय में उन्हें भी प्रोत्साहित करते हुए, समूह गठन के लिए महिलाओं को तैयार किया जाता है जिन्हें स्वीकर्ता या प्रारंभिक ग्राही भी कहते है, बाद में यही समूह गठन में उत्प्रेरक का कार्य करती है। ऐसी स्थितियों में संस्था के द्वारा 15–20 व्यक्तियों के समूह बनाने समूह को बचत एवं ऋण की पद्धति सिखलाने तथा उसके पदाधिकारियों का चुनाव कराने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव दिया जाता है, तत्पश्चात समूहों के निर्माण कार्य में अग्रसर होता है। अक्सर सफल समूह बनाने के लिए गांव के क्षेत्र को चुन लिया जाता है, जिसके संभावित सदस्य ऐसे होते है जिसकी सामाजिक–आर्थिक प्रस्थितियां व आवश्यकताएं समान हो। समूह की प्रभावशीलता और सबको साथ जोड़ने की शकिंनु प्रथम चरण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। समूह की बचत सामूहिक निधि में सम्मिलित की जाती है जिसे पर समूह का नियंत्रण होता है। प्रारंभ में सदस्यगण इस सामूहिक बचत से अपनी अति आवश्यक जरूरतों के लिए ऋण ले सकते है।

स्वयं–सहायता समूह का औचित्य :

गॉव में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भी अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती है। ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं। पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य का साधन इनके पास नहीं होते हैं। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी ज़मीन व गहनों को गिरवी रखनी पड़ती है, और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छुड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याऍ (बीमारी, मृत्यु, पर्व, शादी) आ जाये तो बंधक रखने की सीमाएं बढ़ जाती हैं। बैंक शाखाओं की वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुॅच वहॉ तक नहीं है। चूॅकि निर्धनों की जरुरतें छोटे ऋणों से सम्बन्धित होती हो, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताऍ उपयोग और उत्पादन दोनों उद्धेश्यों से जुड़ी हैं, बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं और उधार देने से हिचकते हैं।

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

इस संकट से उभरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो सम्भवतः कुछ नहीं कर सकता है। परन्तु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी–थोड़ी बचत करते–करते पक पूंजी जमा कर सकते हैं। इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इसका उपयोग करके धीरे–धीरे जमीन छुड़ाते हैं स्पष्टतः इस प्रक्रिया में काफी समय लग जात है। परन्तु स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद् से कुछ हद तक अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं।

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10–20 सदस्यों का एक स्वैछिक समूह है जो –

- नियमित रुप से अपनी आमदनी से थोड़ी–थोड़ी बचत करते हैं।
- व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं।
- समूहिक निर्णय लेते हैं।
- समूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं।
- समूह द्वारा तय किये गए नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

भारत में स्वयं सहायता समूह–बैंक लिंकेज कार्यक्रम की उत्पत्ति एवं अवधारणा

अनौपचिरिक ऋण प्रणाली के लचीलेपन, सुग्रहिता, अनुक्रियाशीलता जैसे गुणों को औपचारिक ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनतायें लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने फरवरी 1992 में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्य बैंको से जोड़ने के लिये पायलट परियोजना शुरु की थी। जिसमें (बाद में) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया। यह जुड़ाव इस विचार से भी था कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋण प्रणाली के अच्छे गुणों को समायोजित कर सके।

स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक में मात्र बचत खाता खोलना लिंकेज नहीं माना गया है, यह एक परिचय मात्र है। लिंकेज का पूर्ण स्वरुप हैं बैंक से न केवल कर्ज का लेन–देन हो, बल्कि दोनों के बीच व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित हो।

इस प्रकार वर्ष 1995 में इस कार्यक्रम का प्रायोगिक दौर समाप्त हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 1996 को अपने परिपत्र के जरिये स्वयं सहायता समूहों को दिये गये ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के तहत शामिल किये जाने का निर्देश दिया। यह एक ऐतिहासिक कदम है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पर भारतीय रिजर्व बैंक के हासिल दिशा निदेर्शों की मुख्य विशेषताएँ :–

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

स्वयं सहायता समूहों को ऋण देना बैंकों की ऋण गति–विधियों की मुख्यधारा का भाग होगा:

1. बैंकों को अपने कोर्पोरेट रणनीति। योजना, अपने अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों के अनुबंधों/सम्पर्क को शामिल करेंगे।

2. स्वयं सहायता समूहों की ऋण अदायगी अभिप्राय चाहे जो भी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम भुगतान मद में शामिल किया जाना है।

3. स्वयं सहायता समूह ऋण भुगतान को बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र योजना में शामिल करना है। शाखाएं स्वयं सहायता समूहों को ऋण भुगतान हेतु अपना कार्यक्रम तय कर सकती है।

4. गैर सरकारी संस्थाएं/स्वयं सहायता समूह स्वविवेक से सेवा क्षेत्र की शाखाओं के अलावा अन्य शाखाओं से सेवाएं प्राप्त कर सकती है, यदि ऐसी शाखाओं के प्रति वे अधिक आश्वस्थ हैं और उन्हें भरोसेमन्द समझती हैं।

5. स्वयं सहायता समूह अग्रिम अदाएगी को एल.बी.आर. प्रतिवेदन प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए और उनका पुनर्मुल्यांकन होना चाहिए।

6. बैंकों को अनौपचारिक समूहों, जैसे स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता खोलना है।

7. मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत (आर.बी.आई.परिपत्र, दिनांक 24 जुलाई 1991) अतिरिक्त राशि, प्रतिभूति मानदण्डों आदि से सम्बन्धित लचीलेपन की जो छुट है, उसे जारी रखा जाएगा।

8. समय–समय पर बैंक स्वयं सहायता समूहों पर गैर सरकारी संस्थाओं से ब्याज अधिकार लगा सकती है जैसा नाबार्ड द्वारा निर्धारित है।

9. बैंक स्वयं सहायता समूहों के ऋण भुगतान के लिए सामान्य दस्तावेजकरण निर्धारित कर सकते हैं। आर. बी.आई. द्वारा विहित मानक प्रपत्र अपनाएं जा सकते हैं।

10. स्वयं सहायता समूह कुछ बाकीदारों के साथ भी बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते बैंक द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग समूह द्वारा बाकीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न किया जाए।

11. नाबार्ड द्वारा प्रकाशित परिचालन निर्देशों का प्रचालन जारी रहेगा। उपरोक्त तालिका के अनुसार स्व–सहायता समूह को बैंक द्वारा प्रदाय की गई राशि का उपयोग कर स्व–सहायता समूह की आर्थिक स्थिति की प्रतिगती हो रही है। इस तालिका में मुंगेली जिला के तीनों विकासखण्ड के स्वसहायता समुह को लिया गया है।

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

मुंगेली जिले में स्व–सहायता समूहों की प्रगतिः–

मुंगेली जिला के विकासखण्ड अनुसार स्व–सहायता समुह के कार्यों को वर्षानुसार प्रगति को दर्शाया गया है।

मुंगेली जिला

वर्ष	स्व–सहायता समुह की संख्या	ऋण प्रदाय (लाख में)	अनुदान	मार्षिक आय सहायता प्राप्ति के पश्चात् (हजार मे)
2011–12	134	67.00	10.00	25.00
2012–13	134	73.00	12.00	29.00
2013–14	134	82.00	19.00	30.00
2014–15	134	88.00	20.00	31.00
2015–16	134	93.00	22.00	39.00

सर्वेक्षण के आधार पर

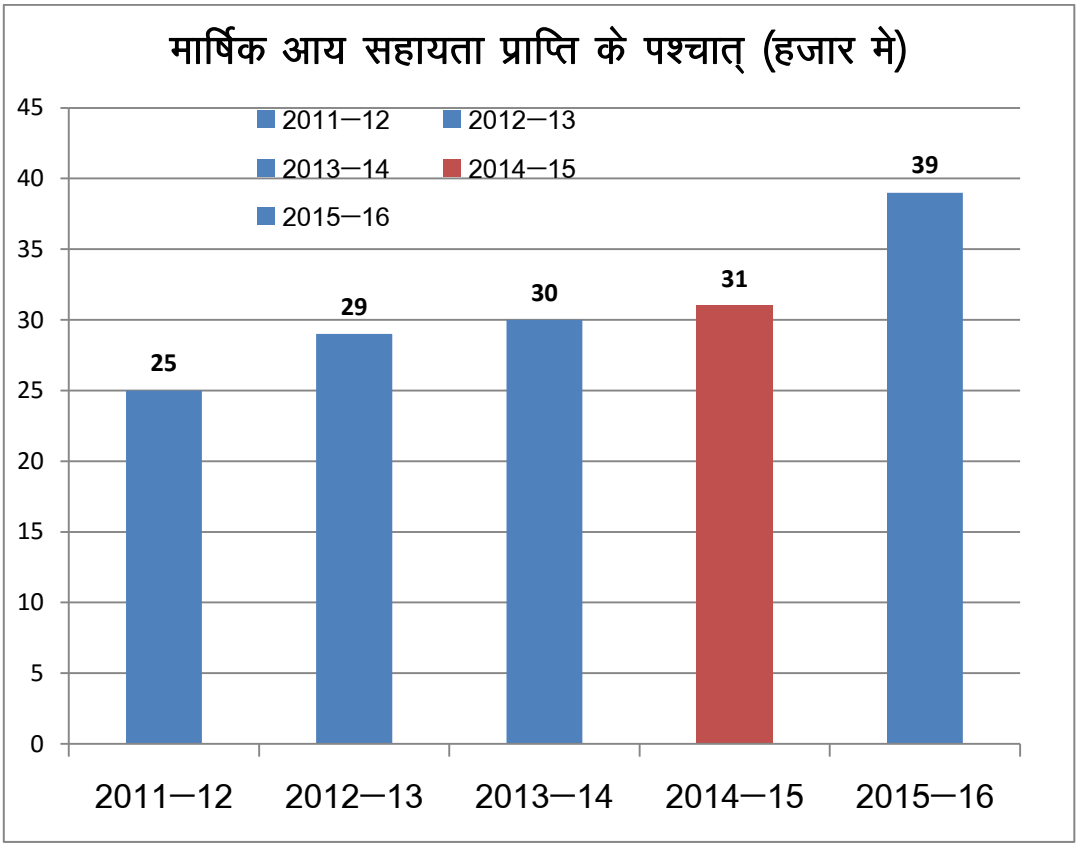

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

विश्लेषण एवं व्याख्याः–

उपरोक्त तालिका के अनुसार मुंगेली जिला के स्वसहायता समुहों द्वारा प्राप्त ऋण राशि एवं अनुदान राशि का विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन कर प्राप्त लाभ का ब्यौरा दिया गया है। जिसमें हमने सवेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके पाया है कि वर्ष 2011–12 तक 134 स्व–सहायता समुहों द्वारा 67 लाख रूपये बैंक द्वारा ऋण प्राप्त हुआ जिसमें से 10 लाख रूपये का अनुदान दिया गया तथा 25 हजार प्रति माह का लाभ लिया गया है। उसी प्रकार वर्ष 2012–13 में स्व–सहायता समुहों द्वारा 73 लाख रूपये बैंक द्वारा ऋण प्राप्त हुआ जिसमें से 12 लाख रूपये का अनुदान दिया गया तथा 29 हजार प्रति माह का लाभ लिया गया है। तथा वर्ष 2013–14 में स्व–सहायता समुहों द्वारा 82 लाख रूपये बैंक द्वारा ऋण प्राप्त हुआ जिसमें से 19 लाख रूपये का अनुदान दिया गया तथा 30 हजार प्रति माह का लाभ लिया गया है। वर्ष 2014–15 स्व–सहायता समुहों द्वारा 88 लाख रूपये बैंक द्वारा ऋण प्राप्त हुआ जिसमें से 20 लाख रूपये का अनुदान दिया गया तथा 31 हजार प्रति माह का लाभ लिया गया है। वर्ष 2015–16 में स्व–सहायता समुहों द्वारा 93 लाख रूपये बैंक द्वारा ऋण प्राप्त हुआ जिसमें से 22 लाख रूपये का अनुदान दिया गया तथा 39 हजार प्रति माह का लाभ लिया गया है।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार हमने पाया कि मुंगेली जिला के स्व–सहायता समूहों को सरकार एवं बैंक द्वारा मिल रही वित्तीय राशि का सही तरीके से उपयोग कर एवं स्व–सहायता समूहों के विभिन्न प्रकार के कार्य में लगाकर लाभ ले रहे है। हमने उपरोक्त तालिका में देखा गया है कि वर्ष 2011–12 से लेकर 2015–2016 तक में स्वसहायता समूहों की प्रगति हो रही है। स्व–सहायता समूह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दे रहा है।

उपसंहार :–

किसी भी योजना या कार्यक्रम का संचालन व क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर कार्य करके ही किया जा सकता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे स्व सहायता समूह का क्रियान्वय भी किसी एक के द्वारा करना संभव नही है। अतः इसके सफल कार्यानवय हेतु अनेक विभिन्न सस्थाओं जैसेः– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बैंक, विकास खंड कार्यालय आदि की सहायता लेने के साथ साथ अनेक प्रशासनिक अधिकारीयो का भी सहयोग लिया जाता है। प्रत्येक क्रियान्वयन संस्थाएं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक जुडी हुई कड़ी के रूप में कार्य करती है। और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहते हुए शासन के प्रति जवाब देह होती हैं, जैसे ग्राम

e-ISJN: A4372-3069 (UGC Approved) ISSN: 2455-443X
Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
www.researchinspiration.com
Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
June 2017
Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

सेवक, विकास खंड अधिकारी के प्रति, विकास खण्ड अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रति जवाब देह होता है।

सन्दर्भ सूचीः–

- व्यावसायिक वातावरण – रोजी जोशी एवं संगम कपूर – कल्याणी पब्लिसर्श, लुधियाना, नई दिल्ली ।
- व्यावसायिक वातवरण – डॉ. आर. एस. सोहाने एवं डॉ. संजय तिवारी , रामप्रसाद एवं संस, आगरा ।
- 'भारत में स्थानीय शासन ' – प्रो. श्रीराम माहेश्वरी, – लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा–3, 1999।
- 'व्यावसायिक पर्यावरण ' – व्ही.सी.सिंहा – साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2008।
- 'विकास के रास्ते सबके वास्ते' – जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग. शासन, रायपुर।